संख्या-21/2020/2484/86-2019-60(सा0)/2019

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊःदिनांक-19 दिसम्बर, 2019

विषयः मुख्य खनिज से परिवर्तित उपखनिजों एवं ग्रेनाईट आयामी पत्थर के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना सं0-का0आ0 423(अ) दिनांक 10.02.2015 द्वारा कतिपय खनिजों को उपखनिज घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के 43वें संशोधन द्वारा अध्याय-4 में संशोधन कर ऐसे घोषित उपखनिज एवं ग्रेनाईट आयामी पत्थर के क्षेत्रों को ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर दिए जाने का प्राविधान किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 10.02.2015 द्वारा घोषित उपखनिजों यथा सिलिका सैण्ड, डायस्पोर- पाइरोफाइलाइट, चाईना क्ले, डोलोमाइट, क्वार्टज, क्वार्टजाइट आदि एवं ग्रेनाईट आयामी पत्थर के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज(परिहार) नियमावली-1963 यथा संशोधित के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी (E-Tender cum E-Auction) प्रणाली के माध्यम से परिहार पर दिये जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेंगी:-

1. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.02.2015 द्वारा घोषित उपखनिजों यथा सिलिका सैण्ड, डायस्पोर-पाइरोफाइलाइट, चाईना क्ले, डोलोमाइट, क्वार्टज, क्वार्टजाइट आदि के रिक्त क्षेत्रों के व्यवसायिक रूप से उपयुक्त खण्डों का निर्धारण खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-93 के अनुसार किया जाएगा। ग्रेनाईट आयामी पत्थर के रिक्त क्षेत्रों के उपयुक्त खण्डों का निर्धारण नियमावली के नियम-10 के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित खण्डों के लिए वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। उक्तानुसार निर्धारित खण्डों को नियमावली के नियम-23(1) के अन्तर्गत घोषित करते हुए क्षेत्रों की विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

2. यदि कोई क्षेत्र पूर्व में खनन पट्टे पर स्वीकृत रहा हो तथा क्षेत्र में खनिज उपलब्ध हो अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (Prospecting licence) अन्तर्गत खनिज की उपलब्धता सिद्ध हो, तो ऐसी दशा में क्षेत्र को खनन पट्टा हेतु विज्ञापित किया जायेगा। जिस क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता सिद्ध न हो, उस क्षेत्र को कम्पोजिट लाईसेंस अर्थात पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा (Prospecting licence-cum-Mining lease) हेतु विज्ञापित किया जायेगा।

3. रिक्त खनन क्षेत्र ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से अधिकतम् 30 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जायेंगे। नये क्षेत्रों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा (Prospecting licence-cum-Mining lease) ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किया जायेगा। इसमें पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(Prospecting licence) की अवधि अधिकतम् 02 वर्ष तथा पूर्वेक्षण के उपरान्त खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित होने की स्थिति में खनन पट्टे की अवधि न्यूनतम् 10 वर्ष और अधिकतम् 30 वर्ष जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

4. उपखनिज की ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली प्रतिघन मी0 के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 की अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर (आधार मूल्य) से कम नहीं होगी। इससे कम बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रि-बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। जहां क्षेत्र में एक से अधिक उपखनिज उपलब्ध हों, वहाँ ऐसे उपखनिज, जिसकी रायल्टी सर्वाधिक हो, को आधार मूल्य माना जायेगा।

5. कम्पोजिट लाइसेंस की दशा में ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त बिड /बोली की दर कम्पोजिट लाइसेंस के अधीन स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अन्तगत खनिज की उपलब्धता सिद्ध हो जाने के उपरान्त स्वीकृत खनन पट्टा हेतु प्रभावी होगी।

6. यदि क्षेत्र खनन पट्टा हेतु विज्ञापित किया जाता है तो नियमावली-1963 के नियम-23(4) के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा अथवा पूर्व में किये गये पूर्वेक्षण के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति रिपोर्ट में आंकलित रिजर्व के अनुसार मात्रा को आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाय। यदि क्षेत्र कम्पोजिट लाइसेंस हेतु विज्ञापित किया जाता है तो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के पश्चात प्रस्तुत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति रिपोर्ट में आंकलित रिजर्व के अनुसार खनन पट्टा हेतु मात्रा का निर्धारण किया जाय। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा यदि उक्त मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मात्रा को मान्य किया जायेगा। तद्नुसार प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित मात्रा को उच्चतम् बिड/बोली की दर (रू0 प्रतिघन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर अनुवर्ती वर्षो के लिए विगत वर्ष से 10 प्रतिषत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी।

7. यदि क्षेत्र कम्पोजिट लाइसेंस हेतु विज्ञापित किया जाता है तो सफल बिडकर्ता के पक्ष में कम्पोजिट लाइसेंस के अर्न्तगत प्रथम चरण में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख का निष्पादन किया जायेगा।

8. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के अधिकतम् 03 माह के अन्दर अनुज्ञप्तिधारक को खनिज की उपलब्धता, गुणवत्ता, एवं खनिज के भण्डार आदि के सम्बन्ध में प्रास्पेक्टिंग रिपोर्ट निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म एवं जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। प्रास्पेक्टिंग रिपोर्ट के अनुसार खनिज की उपलब्धता नहीं पायी जाती है तो कम्पोजिट लाइसेंस समाप्त माना जायेगा एवं जमा प्रतिभूति की धनराशि नियमानुसार अनुज्ञप्तिधारक को वापस कर दी जायेगी।

9. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अन्तर्गत खनिज की उपलब्धता सिद्ध होने पर सफल निविदादाता /बोलीदाता को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्ति के 01 माह के अन्दर खनन योजना सहित खनन पट्टा हेतु आवेदन करना होगा।

10. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अन्तर्गत खनिज की उपलब्धता सिद्ध होने पर खनिज की उपलब्धता के अनुसार खनन पट्टा हेतु क्षेत्रफल कम किया जा सकता है। खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की दशा में नियम-23(4) के अन्तर्गत क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज के अनुसार मात्रा को आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाय। निर्धारित मात्रा को उच्चतम् बिड/बोली की दर (रू0 प्रतिघन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित किया जायेगा। प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर अनुवर्ती वर्षो के लिए विगत वर्ष से 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा यदि उक्त मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मात्रा को मान्य किया जायेगा।

11. ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा सम्पन्न की जायेगी, जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender)देने का अवसर प्राप्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नही किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम् निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम् बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।

12. खनन पट्टा/कम्पोजिट लाइसेंस हेतु क्षेत्र को विज्ञापित किये जाने की दशा में ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र के आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिषत प्री बिड अर्नेस्ट मनी एम0एस0टी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा करना अनिवार्य होगा। आरक्षित मूल्य की गणना ग्रेनाईट आयामी पत्थर के क्षेत्रों हेतु 200 घन मी0 प्रति हे0 एवं मुख्य खनिज से परिवर्तित उपखनिजों के लिए 1000 घन मी0 प्रति हे0 को आधार मानकर प्रस्तर-4 में उल्लिखित उपखनिज की रायल्टी दर (बिड का आधार मूल्य) से गुणा कर की जायेगी। उपखनिजों की उक्त मात्रा केवल प्री-बिड निर्धारण हेतु मान्य होगी।

13. निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के प्री-बिड अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तरों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति, जिसमें अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/खान निरीक्षक होंगे, द्वारा कराया जायेगा।

14. एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई-ऑक्सन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

15. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Singning type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0लि0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

16. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेगा, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0-15,000(रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

17 ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 लि0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्सन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनर्लाइन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी लि0 द्वारा भेजी गयी सूचना ई मेल पर प्राप्त होगी, जिसके पश्चात् बिडर्स द्वारा आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 लि0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स द्वारा वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित रू0-2,360 (रू0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 लि0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Active) होगा। पूर्व में पंजीकृत बीडर्स, जिनके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हे पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा परन्तु नये नियमों के अनुसार आवष्यक अभिलेख, यथा-हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Active) हो पायेगा।

18. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 लि0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की चिन्हांकन संख्या क्पतमबजवत प्कमदजपपिबंजपवद छनउइमत ;क्प्छद्ध के प्रमाण-पत्र की प्रति।

(2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(3) आवेदक के पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है, वहाँ इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(6) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-23(2) (ख) के अनुसार विज्ञापित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पूर्ववर्ती पट्टाधारक जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र। उक्त प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की दशा में आवेदक पर नियम-23(2)(ख) के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

(7) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराषि के 25 प्रतिषत की कीमत से कम नहीं हो।

19. एम0एस0टी0सी0लि0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेषालय की वेबसाईट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के प्रावधानों के अन्तगत अर्ह हों। उक्त नियमावली के नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं-

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो।

(7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिषत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत नहीं किया हो।

20. रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन - खण्डों का निर्धारण एवं उनका मूल्यांकन होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-23(1) के अन्तर्गत क्षेत्रों की घोषणा की जायेगी। इसके उपरान्त अध्याय-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत तथा निम्न प्रक्रिया के अनुसार रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एम0एस0टी0सी0लि0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com दैनिक समाचार पत्रों एवं विज्ञापन पट(नोटिस बोर्ड) पर चस्पा/प्रकाशित किया जायेगा।

(1) जिलाधिकारी द्वारा उक्त नियमावली के नियम 23(1) के अन्तर्गत घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 लि0 को भी ई-मेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 लि0 के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0टी0सी0 लि0 के पोर्टल पर डालने के बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु एम0एस0टी0सी0 लि0 के वेब पोर्टल पर बिडर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा। विज्ञप्ति की पुष्टि करते समय समिति के जिन सदस्यों का नाम ई-पोर्टल पर विज्ञप्ति के कैटलॉग में प्रदर्षित होगा, उन्हीं सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर से प्राप्त ई-निविदाओं को खोला जा सकेगा। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान समिति के सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी समिति के सदस्यों की होगी। डिजिटल सिग्नेचर के नवीनीकरण अथवा समिति के सदस्यों के स्थानान्तरण आदि की स्थिति में डिजीटल सिगनेचर के परिवर्तन की दषा में एम0एस0टी0सी0 लि0 को सूचित करना अनिवार्य होगा, ताकि ई-पोर्टल पर एम0एस0टी0सी0 लि0 द्वारा आवश्यक बदलाव किया जा सके।

(2) विज्ञप्ति में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, क्षेत्रफल, जियो-कोआर्डिनेट का विवरण, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करने की तिथि, ई-निविदा डालने की तिथि व अवधि, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तो का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(3) ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि एवं शर्तो का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 लि0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा पोर्टल पर निविदाकार द्वारा देखा जा सकेगा। वेब पोर्टल पर प्रदर्शित विज्ञप्ति सम्बन्धी सूचना निविदाकार द्वारा पढ़ी हुई मानते हुए उनकी सहमति समझी जायेगी।

(4) रिक्त क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रर्दशित की जायेगी, इसके साथ ही उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी, जिससे कि किसी भी दशा में उक्त पोर्टल एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में कोई भी भिन्नता नहीं हो। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) निम्नानुसार चस्पा/प्रकाशित की जायेगी:-

क. नोटिस की प्रतियां जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायी जायेंगी।

ख. नोटिस की एक प्रति एम0एस0टी0सी0 लि0 द्वारा निर्धारित पोर्टल, विभागीय वेबसाईट, राज्य सरकार के ई-निविदा/ ई-नीलामी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

ग. सर्वसाधारण की सूचना के लिए नोटिस जिले में प्रचलित कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(5) समाचार पत्र में प्रकाशन के दिनांक से ही विज्ञप्ति की तिथि की गणना की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समाचार पत्रों में प्रकाषन के दिनांक से कम से कम 30 दिन पश्चात ही ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की जायेगी तथा प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करने की अन्तिम तिथि के अगले दिन से आगामी 04 दिन तक ई-निविदा प्राप्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म /कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0-15000(रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क, जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

(7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/ निविदादाता द्वारा जमा बयानें की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) बोलीदाता/ निविदादाता के बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

(8) जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो, वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

(9) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (40वां संशोधन) के नियम-93(3) के प्राविधान के अन्तर्गत किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में अधिकतम् तीन खनन पट्टे अथवा 400 हे0 से अधिक के क्षेत्र को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 03 खनन पट्टे अथवा 400 हे0 से अधिक क्षेत्रफल का खनन पट्टा स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टा निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के तीन क्षेत्र के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 03 खनन पट्टे अथवा 400 हे0 से अधिक क्षेत्रफल का खनन पट्टा होने की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

21. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया को सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किया जायेगा:-

(1)जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन	अध्यक्ष
(2)जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य
(3)जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/ खान निरीक्षक	सदस्य सचिव

जिलाधिकारी तथा समिति के सभी सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर (Class III Signing cum Encryption) का होना आवश्यक है, यदि किसी सदस्य का उक्त डिजीटल सिग्नेचर नहीं है तो उसे तत्काल बनवा लिया जाय।

22. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया:-

(1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्र्तगत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में दी गयी धनराशि निर्धारित न्यूनतम् बोली से 200 प्रतिशत से अधिक है तथा निविदादाता शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (ऑफर) 200 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से शासकीय हितों की रक्षा करते हुये एकल निविदादाता के पक्ष में आषय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी करने अथवा जारी नहीं करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पांच या पांच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम् बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा आषय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पांच से अधिक बिड/ ऑफर प्राप्त होते हैं, तब केवल पांच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम् बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

(ड.) प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्टाधारक, जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ, को ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र पर पूर्ण प्रादेशिक (Territorial) अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम् बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-23(2) की शर्तों के अधीन दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक, जिसने पंजीकरण के समय बिन्दु सं0-18(6) के अनुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो तथा ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण ई-निविदा में भाग लिया हो, को क्षेत्र विशेष जिसमें पूर्व पट्टे का 50 प्रतिषत से अधिक भाग आच्छादित हो, की नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम् बोली को स्वतः संज्ञान में लेकर उससे अधिक के ऑफर का पत्र अपने हस्ताक्षर सहित स्कैन कर अपने रजिस्टर्ड ई-मेल आई0डी0 के माध्यम से ई नीलामी की समाप्ति की तिथि से अगले कार्यदिवस के सायं-05ः00 बजे तक जिलाधिकारी के ई-मेल आई0डी0 एवं एम0एस0टी0सी0लि0 के ई-मेल आई0डी0 पर तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प होगा, अन्यथा की दशा में पूर्ववर्ती पट्टाधारक होने के आधार पर उपरोक्त प्राथमिकता का उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 (यथासंशोधित) के नियम-23(2)(ख) के अन्तर्गत लाभ नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट तीन कार्यदिवसों में उक्त के सम्बन्ध में निर्णय लेकर सम्बन्धित पूर्व पट्टाधारक, एम0एस0टी0 सी0लि0 एवं नीलामी में भाग लेने वाले उच्चतम् बोलीदाता को सूचित करेंगे।

(3) उपरोक्त प्रस्तर-22(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम् बिड/ऑफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिए आधार मूल्य (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) ई-नीलामी की प्रक्रिया, जो ई-निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। ई-नीलामी की ऑनलाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम् बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो ई-नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

(7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगीः-

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)प्रथम दिन प्रथम चरण में ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि 31वें दिन (पूर्वाह्न 10-00 बजे) से 34 दिन (सायं 5-00 बजे) तक

प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन 34वें दिन के उपरान्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक तिथि व समय

द्वितीय चरण की ई-नीलामी की अवधि ई-निविदा खोलने की तिथि व समय के तत्काल 02 घण्टे बाद प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक तिथि व समय

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:

क. प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer)के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम् निविदा धनराशि (बिड एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य हैं अथवा नहीं, को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।

ख. एकल निविदा एवं पूर्व पट्टाधारक के क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई-नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम् बोली, उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0लि0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

23. पट्टे का दिया जाना: उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-22(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम् हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

24. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहॉ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख-सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा आषय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर ऑफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

25. आषय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) में निम्न विवरण होंगे:

(1) यदि क्षेत्र खनन पट्टा हेतु विज्ञापित किया गया है तो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-23(4) के अन्तर्गत क्षेत्र के लिये निर्धारित मात्रा को उच्चतम् बिड/बोली की दर (रू0 प्रतिघन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पर अनुवर्ती वर्षों के लिए विगत वर्ष से 10 प्रतिषत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा यदि उक्त मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मात्रा को मान्य किया जायेगा।

(2) यदि क्षेत्र कम्पोजिट लाइसेंस हेतु विज्ञापित किया गया है तो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अन्तर्गत खनिज की उपलब्धता सिद्ध होने के उपरान्त उक्त नियमावली के नियम-23(4) के अनुसार निर्धारित मात्रा को उच्चतम् बिड/बोली की दर (रू0 प्रतिघन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर अनुवर्ती वर्षो के लिए विगत वर्ष से 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा यदि उक्त मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मात्रा को मान्य किया जायेगा।

(3) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए खनन पट्टा हेतु प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए आगणित धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त के रूप में 25 प्रतिशत आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) निर्गत होने के दो कार्य दिवस के अन्दर जमा करेगा।

कम्पोजिट लाइसेंस की दशा में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अवधि हेतु प्रतिभूति के रूप में प्रस्तर-12 के अनुसार प्री-बिड अर्नेस्ट मनी हेतु निर्धारित मात्रा को बिड/बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष के लिये आगणित धनराशि का 25 प्रतिशत आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) निर्गत होने के उपरान्त दो कार्य दिवस के अन्दर जमा किया जायेगा तथा खनिज की उपलब्धता सिद्ध होने पर जमा प्रतिभूति के अतिरिक्त, पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित मात्रा के अनुसार खनन पट्टा हेतु स्वामित्व की पहली किस्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि पट्टा विलेख निष्पादन के पूर्व जमा करेगा।

(4) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किस्तें एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 की चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेंगी।

(5) पट्टाधारक उक्त नियमावली के नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा, जिसमें सीमाबिन्दुओं का जिओ-कोआर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।

(6) चयनित आवेदक प्रश्नगत नियमावली के नियम-34 के प्राविधानों के अन्तगत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(7) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत नियमावली के नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(8) लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर खनन योजना अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराशि के जमा होने के प्रमाण सहित, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाना होगा एवं पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के अन्दर खनन संक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

26. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति:

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि अधिकतम् 30 वर्ष के लिये होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होगी तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मात्रा मान्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 की चतुर्थ अनुसूची के अनुसार, पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वेक्षण अनुज्ञा के पश्चात खनिज की उपलब्धता सिद्ध होने पर खनन पट्टा के लिए उक्त नियमावली के नियम-23(4) के अनुसार प्रथम वर्ष के लिए आंकलित उपखनिज की मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी।

(2) आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता /निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि के 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निर्धारित लेखाषीर्षक में लेटर ऑफ इण्टेण्ट जारी होने के दो कार्य दिवस के अन्दर प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुए जमा किया जायेगा। प्री बिड अर्नेस्ट मनी की धनराषि एम0एस0टी0सी0लि0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा ऑन लाईन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता /निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा नहीं करने की दशा में उक्त नियमावली के नियम-58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0 एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

27. शर्तें:- विज्ञप्ति में निम्न शर्तें दी जायेंगी।

(1) ई-निविदा सह ई-निलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बोलीदाता स्वयं आश्वस्त हो ले। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। कम्पोजिट लाइसेंस के अधीन स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की शर्तें पृथक से लागू होंगी तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अन्तर्गत खनिज की उपलब्धता सिद्ध हो जाने पर स्वीकृत खनन पट्टा की शर्तें लागू होंगी।

(2) पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित किया जायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टा धारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्भे को लगायेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(3) ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहॉं क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय द्वारा किया जायेगा। सत्यापन हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

(4) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के भीतर पट्टाधारक खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।

(5) पट्टाधारक उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी। पट्टाधारक द्वारा उसका समुचित रूप से रख रखाव किया जायेगा एवं उसका सदैव चालू रूप में अनुरक्षण करेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(6) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहन के लिये निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा संरक्षित करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उसे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में वह उक्त नियमावली के नियम-59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(7) पट्टेदार द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार खनन संक्रिया की जायेगी।

(8) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(9) ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली को स्वीकार करने अथवा किसी क्षेत्र के उच्चतम् बिड/बोली को कारण अभिलिखित करते हुए अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी का होगा।

(10) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहॉ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, पट्टाधारक वहॉ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(11) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(12) मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों व संगत अधिनियम/ नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों/शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पालन किया जायेगा।

(13) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(15) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें, जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

(16) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तें:-

i. पूर्वेक्षण हेतु स्वीकृत भूमि में सम्मिलित वन विभाग की भूमि पर पूर्वेक्षण कार्य हेतु वन विभाग की अनुमति तथा काश्त भूमि पर पूर्वक्षण कार्य हेतु काश्तकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ii. पूर्वेक्षण से पूर्व पूर्वेक्षण स्कीम प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iii. पूर्वेक्षण के दौरान पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र से खनिजों का व्यावसायिक खनन/परिवहन नहीं किया जायेगा। यदि उपखनिज का परीक्षण /जाँच किया जाना है तो सैम्पल (उपखनिज) के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

iv. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लंघन करने पर कम्पोजिट लाइसेंस अन्तर्गत स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति निरस्त कर जमा प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतः उपरोक्तानुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से खनन क्षेत्रों को व्यवस्थित करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर ली जाय।

भवदीय,

(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या-2484(1)/86-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक (बी0ओ0) एम0एस0टी0सी0लि0, लीलावती बिल्डिंग द्वितीय तल, 69 अरमेनियन स्ट्रीट, चेन्नई।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।